

ध्रमाधाराम

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i) प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 391]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 30, 2014/श्रावण 8, 1936

No. 391]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 30, 2014/SHRAVANA 8, 1936

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जुलाई, 2014

सा.का.नि.542(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कितपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप जिसे केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 की उप-धारा (1) के खंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, पैतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा:

- 2. कोई आक्षेपों या सुझावों, जो पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से प्राप्त हो सकेंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा;
- 3. आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद् मार्ग, नई दिल्ली- 110001 को भेजे जा सकेंगे ।

प्रारूप नियम

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 2014 है ।
- (2) इन नियमों में, जैसा अन्यथा उपबंधित है उसके सिवाय, ये राजपत्र में उनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- 2. केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 118 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--

"118. गित नियंत्रक :—(1) इसमें यथा उपबंधित के सिवाय, केंद्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 41 की उपधारा (4) के अधीन अधिसूचित और 1 अक्तूबर, 2014 को या उसके पश्चात् विनिर्मित प्रत्येक परिवहन यान को यान विनिर्माता द्वारा या तो विनिर्माण के प्रक्रम पर या व्यवहारी प्रक्रम पर गित नियंत्रक (गित सीमित करने की युक्ति या गित सीमित करने की क्रिया) से सुसज्जित किया जाएगा या उसमें गित नियंत्रक लगाया जाएगा, जो समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस 018/2001 मानक के अनुरूप नियत सेट की गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम पूर्व नियत गित का होगा :

3033GI/2014 (1)

परंतु राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, 1 अक्तूबर, 2014 से पूर्व रिजस्ट्रीकृत कृत्य परिवहन यानों के प्रवर्गों को विनिर्दिष्ट कर सकेगी और जिनमें कोई गति नियंत्रक (गति सीमित करने की युक्ति या गति सीमित करने की क्रिया) पहले से ही नहीं लगी है, के प्रचालक द्वारा सुसज्जित किया जाएगा या लगाया जाएगा, जो समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस 018/2001 मानक के अनुरूप नियत की गई 80 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम पूर्व नियत गति का होगा:

परंतु यह और कि परिवहन यान निम्नलिखित होंगे :—

- (i) दोपहिया;
- (ii) तिपहिया;
- (iii) चौपहिया;
- (iv) यात्रियों और सामान के वहन के लिए उपयोग किए गए चार पहिया, जिनकी बैठने की क्षमता चालक सीट के साथ-साथ 8 यात्रियों से अधिक नहीं है; (एम 1 प्रवर्ग)
- (v) अग्निशामक;
- (vi) एंबुलेंस;
- (vii) पुलिस यान;
- (viii) अखिल भारतीय पर्यटन परमिट पर प्रचालित
- (ix) नियम 126 में विनिर्दिष्ट किसी परीक्षण अभिकरण द्वारा सत्यापित और प्रमाणीकृत अधिकतम गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक नहीं है,

को गति नियंत्रक (गति सीमित करने की युक्ति या गति सीमित करने की क्रिया) से सुसज्जित या लगाने की अपेक्षा नहीं होगी :

परंतु यह और भी कि 90 किलोमीटर प्रति घंटा से कम गति से डिजाइन होने वाले राष्ट्रीय परिमट पर प्रचालित होने वाले माल वाहक यान, नियम 126 में विनिर्दिष्ट किसी परीक्षण अभिकरण द्वारा सत्यापित और प्रमाणित के रूप में परिवहन यान नहीं हैं, में समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस 018/2001 मानक के अनुरूप नियत की गई 90 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम पूर्व नियत गति रखने वाले गति नियंत्रक (गति सीमित करने की युक्ति या गति सीमित करने की क्रिया) सुसज्जित करने की अपेक्षा होगी:

परंतु यह और भी कि परिवहन यान जैसे डंपर, स्कूल बस और टैंकर में, समय-समय पर यथासंशोधित एआईएस 018/2001 मानक के अनुरूप या उक्त मानक के अनुरूप की पुष्टि करने वाले, राजपत्र में अधिसूचना में, राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ऐसी अन्य कम गित सीमित करने वाले, नियत की गई 60 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम पूर्व नियत गित रखने वाले गित नियंत्रक (गित सीमित करने की युक्ति या गित सीमित करने की क्रिया) सुसज्जित करने की अपेक्षा होगी ।

[फा. सं. आरटी-11017/13/2005-एमवीएल]

संजय बंदोपाध्याय, संयुक्त सचिव

टिप्पण:—मूल नियम सा.का.नि. 590(अ) तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अंतिम संशोधन सं.सा.का.नि. 534(अ), तारीख 24 जुलाई, 2014 द्वारा किया गया ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 30th July, 2014

G.S.R. 542(E).—The following draft rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by clause (f) of sub-section (1) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), is hereby published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of forty-five days from the date on which copies of this notification as published in the Gazette of India, are made available to the public.

- 2. Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the aforesaid period shall be considered by the Central Government.
- 3. Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi–110 001.

Draft rules

- 1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2014.
 - (2) Save as otherwise specifically provided in these rules, they shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.
- 2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, for rule 118 the following rule shall be substituted, namely:—
 - **"118. Speed governor.—**(1) Every transport vehicle notified by the Central Government under sub-section (4) of section 41 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), save as provided herein, and manufactured on or after the 1stOctober, 2014 shall be equipped or fitted by the vehicle manufacturer, either in the manufacturing stage or at the dealership stage, with a speed governor (speed limiting device or speed limiting function) having maximum pre-set speed of 80 kilometre per hour conforming to the Standard AIS 018/2001, as amended from time to time:

Provided that the State Government may, by notification in the Official Gazette, specify the categories of transport vehicles registered prior to the 1st October, 2014 and not already fitted with a speed governor (speed limiting device or speed limiting function), shall be equipped or fitted by the operator of such transport vehicle with a speed governor (speed limiting device or speed limiting function) having maximum pre-set speed of 80 kilometre per hour conforming to the Standard AIS: 018/2001, as amended from time to time:

Provided further that the transport vehicles that are,—

- (i) two wheelers;
- (ii) three wheelers;
- (iii) quadricycles;
- (iv) with four wheels used for carriage of passengers and their luggage, with seating capacity not exceeding eight passengers in addition to driver seat (M1 Category);
- (v) fire tenders;
- (vi) ambulances;
- (vii) police vehicles;
- (viii) operating on All India Tourist permit;
- (ix) with maximum rated speed as verified and certified by a testing agency specified in rule 126, does not exceed 80 kilometer per hour,

shall not be required to be equipped or fitted with speed governor (speed limiting device or speed limiting function):

Provided also that the transport vehicles being goods carriage operating on National Permit, as are not verified and certified by a testing agency specified in rule 126 to have design speed less than 90 kilometre per hour, shall be required to be fitted with speed governor (speed limiting device or speed limiting function) having maximum pre-set speed of 90 kilometre per hour conforming to the Standard AIS: 018/2001, as amended from time to time:

Provided also that the transport vehicles such as dumpers, school buses and tankers shall be required to be fitted with speed governor (speed limiting device or speed limiting function) having maximum pre-set speed of 60 kilometre per hour conforming to the Standard AIS: 018/2001, as amended from time to time or such other lower speed limit specified by the State Government by notification in the Official Gazette conforming to the said Standard.

[F. No. RT-11017/13/2005-MVL]

SANJAY BANDOPADHYAYA, Jt. Secy.

Note:—The principal rules were published *vide* number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and last amended *vide* number G.S.R. 534(E), dated 24th July, 2014.